कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 लेवल– प्रथम के संबंध में दूरभाष पर प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्रश्नों/शंकाओं के प्रत्तयुतर/निराकरण के संबंध में

1. अध्यापक लेवल–प्रथम की भर्ती हेतु आवेदन कैसे किया जावेगा?
   उत्तर– अभ्यर्थी को www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करवाना होगा व user ID व password से उक्त वेब साईट पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। अन्य किसी भी वेब साईट से आवेदन नहीं किया जा सकता है।
2. अध्यापक लेवल–प्रथम की भर्ती हेतु कौन–कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है?
   उत्तर– ऐसे अभ्यर्थी जो विस्तृत विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार न्युनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं रखते है, ऑन लाईन आवेदन कर सकते है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो न्युनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्च माध्यमिक/समकक्ष तथा द्विवर्षिय बी.एस.टी.सी. परीक्षा/समकक्ष उत्तीर्ण है, व आरटेट 2011, आरटेट 2012, रीट 2015 व रीट 2017 इन चारों में से किसी भी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंको सहित लेवल–प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीनीयर सैकण्डरी के न्यूनतम प्राप्तांको के संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 9.5 का अवलोकन करें।
3. क्या महिला (सामान्य, विधवा एवं परित्यकता), विशेष योग्यजन, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल–प्रथम में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ? अथवा अंको में छूट है।
   उत्तर– नहीं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल प्रथम में कम से कम 60 प्रतिशत अंको सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.08.2012 के अनुसार राजस्थान राज्य के अधिसूचित क्षेत्र (टीएसपी ऐरिया) के अनुसूचित जनजाति (टीएसपी–एसटी) के अभ्यर्थियों को आरटेट 2012, रीट 2015 व रीट 2017 में लेवल–प्रथम में कम से कम 36 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन टीएसपी–एसटी के अभ्यर्थियों को आरटेट–2011 हेतु लेवल–प्रथम में कम से कम 60 प्रतिशत अंको सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
4. क्या अध्यापक भर्ती, 2018 के लेवल–प्रथम में राज्य के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते है ?
   उत्तर– जी हॉ, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के निवासी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के रूप में आवेदन कर सकते है। इनको राजस्थान राज्य में देय किसी भी प्रकार के का लाभ (यथा– आयु, फीस, आरक्षण संबंधी) देय नहीं होगा।
5. क्या बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु पात्र है ?
   उत्तर– नहीं, शिक्षक भर्ती, 2018 हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 12.04.18 के बिन्दु संख्या 9.9 के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी के पास सभी न्यूनतम शैक्षणिक,प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में निर्धारित मानदण्ड अनुसार न्यूनतम प्राप्तकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. क्या अभ्यर्थी को सभी जिलों की प्राथमिकताएं भरनी जरूरी है ? चाहे उस जिले में पद विज्ञापित नहीं है।
   उत्तर– हां अभ्यर्थियों को सभी जिलों की प्राथमिकताएं भरनी अनिवार्य है।
7. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2011 के संबंध में कौन से अंक भरने है ?
   उत्तर– राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2011 का संशोधित परिणाम दिनांक 01.08.2013 जारी किया गया था। अतः संशोधित परिणाम दिनांक 01.08.2013 के अनुसार ही अंक भरने अनिवार्य है व यदि अभ्यर्थी आरटेट, 2011 के प्राप्तांक भर रहा है तो आरटेट, 2011 की संशोधित अंकतालिका ही अपलॉड करनी अनिवार्य है।
8. अध्यापक लेवल–प्रथम की मेरिट का मुख्य आधार क्या है ?
   उत्तर– अध्यापक लेवल–प्रथम के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या– 9 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं रीट/आरटेट में न्यूनतम निर्धारित अंको सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राज्य स्तरीय मेरिट का निर्धारण रीट/आरटेट लेवल–प्रथम के प्राप्ताकों के आधार पर किया जावेगा।

9. अध्यापक लेवल– प्रथम के ऑन लाईन आवेदन में कौन–कौन से दस्तावेज अपलोड करने है ?
उत्तर– ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन करते समय जो दस्तावेज अपलोड किए जाने वांछित है वे समस्त दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक है।

10. क्या ऑफ लाईन आवेदन किया जा सकता है ?
उत्तर– नहीं,

11. आवेदन पत्र में कोई गलती रह जाये तो क्या Edit की सुविधा है अथवा नहीं ?
उत्तर– जी नहीं। इसके लिए अभ्यर्थी को नवीन SSO ID से नया आवेदन पत्र भरा जाना होगा।

12. क्या एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है ?
उत्तर– हॉ, आवेदन पत्र भरने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है, प्रत्येक आवेदन हेतु नवीन SSO ID का प्रयोग कर भरा जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम भरा गया आवेदन पत्र मान्य होगा। किसी भी आवेदक का आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।

13. किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने के बाद फीस जमा नहीं करवाने पर क्या होगा ?
उत्तर– किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित आवेदन शुल्क (फीस) जमा नहीं करवाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट नहीं होगा व इस प्रकार के आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

14. क्या ऑन लाईन आवेदन का प्रिंट आउट/फोटो प्रति सुरक्षित रखी जानी है ?
उत्तर– हां, भर्ती के संबंध में आगामी प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट/प्रति सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

15. क्या अनुसूचित क्षेत्र(TSP Area) के पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग को आयु का लाभ देय है ?
उत्तर– अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध आवेदन करने पर पिछडावर्ग/अतिपिछडा वर्ग को फीस के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई छूट (आयु व शैक्षणिक योग्यता में अंक) देय नहीं है। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों में पिछडावर्ग/अतिपिछडा वर्ग को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

16. यदि अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के पिछड़ा वर्ग /अतिपिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा फीस के अतिरिक्त अन्य कोई भी लाभ (आयु व शैक्षणिक योग्यता में अंक) प्राप्त कर आवेदन किया गया है तो क्या होगा ?
उत्तर–अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) पिछड़ा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग हेतु आरक्षण का लाभ देय नहीं है यदि इस वर्ग के किसी अभ्यर्थी द्वारा फीस के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ लेकर अध्यापक लेवल–प्रथम हेतु आवेदन किया गया है, तो वह चयन से वंचित रहेगा चाहे अभ्यर्थी उच्च मेरिट धारी क्यों न हो।

17. अनुसूचित क्षेत्र(TSP Area) के पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को किस वर्ग में आवेदन करना चाहिए ?
उत्तर– अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के पिछडा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में (आवेदन शुल्क– 100 रूपये) आवेदन करना चाहिए ताकि मेरिट में आने पर उनका सामान्य वर्ग के अनुसार अनारिक्षत पदों पर चयन हो सके।

18. क्या अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) के लिए विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकते है।
उत्तर– हॉ, अनुसूचित क्षेत्र(TSP Area) के पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित (NON TSP Area) क्षेत्र के विज्ञापित पदों (विज्ञापन संख्या 01/2018) हेतु आवेदन कर सकते है व गैर अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे अभ्यर्थियों को फीस, आयु व शैक्षणिक योग्यता में अंक संबंधी छूट देय होगी।

19. यदि आरक्षित वर्ग के (पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अभ्यर्थियों द्वारा फीस के अतिरिक्त आयु व शैक्षणिक योग्यता में अंको की छूट ली गई तो क्या उसका वरियता में होने पर अनारक्षित पदों के विरूद्ध चयन किया जावेगा?
उत्तर– नहीं, यदि आरक्षित वर्ग के (पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अभ्यर्थियों द्वारा फीस के अतिरिक्त आयु व शैक्षणिक योग्यता में अंको की छूट ली गई तो वरियता में आने पर उनका चयन उनके वर्ग के आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन किया जावेगा।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर